न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 66/2018
प्रविष्टि दिनांक 15–11–2018

रामबिलास पुत्र जगदीश नाई निवासी मण्डावर तह0 टोंक जिला–टोंक राज0
–अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार टोंक जिला– टोक
–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्व निर्णय तहसीलदार टोंक दिनांक 5–9–2018 मिसन नं0 17/2018

उपस्थिति : (1) श्री राजेश गुर्जर अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री सै0 मजहर आलम,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक 20–1–2022**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 5–9–2018 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 3592/193 रकबा 2.10 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम मण्डावर पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर भूमि से बेदखल करने 163/रूपये की पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार टोंक के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अपीलान्ट एंव उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं हुए राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट को दिनांक 9–12–2021 को लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया किन्तु उनको द्वारा आज तक लिखित बहस पेश नही किये जाने के कारण अपील प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए गुणवगुण आधार पर निर्णय किया जाना उचित समझते हैं। अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नहीं मंगवाई ओर न मौके की निरीक्षण किया गया। अपीलान्ट को तहसीलदार टोंक द्वारा निर्णय से पूर्व नोटिस नहीं दिया है ओर नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत् व्यक्तिशः तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट [illegible] सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बि[illegible]में गलती की है। पटवारी हल्का ने दुर्भावना पूर्वक अपीलाण्ट के विरूद्ध क[illegible]बाबत गलत रूप से रिपोर्ट की है। रिपोर्ट किस तारीख को तैयार की तथा किस के सामने तैयार की इसका अंकन निर्णय में नहीं है। अपीलान्ट को पटवारी हल्का [illegible]जिरह करने का अवसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:02:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

दिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर तहसीलदार ने विश्वास करके जो निर्णय पारित किया है वह निरस्त योग्य है। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 12–11–2018 को हुई, जिस पर अपीलान्ट ने निर्णय की नकल प्राप्ति हेतु आवेदन पेश किया, नकल दिनांक 13–11–2018 को प्राप्त होने पर आज अपीलान्ट बिना किसी देरी के अन्दर मियाद पेश कर रहा है जो देरी हुई है, वह न्यायहित में क्षमा किये जाने योग्य है। देरी को क्षमा करने हेतु अपीलान्ट धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर न्यायालय तहसीलदार टोंक द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–9–2018 निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा अपील में अंकित तथ्यों का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलाण्ट को तहसीलदार टोंक द्वारा नोटिस जारी किया है। नोटिस की विधिवत तामील गई है। बावजूद तामील अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है। सरकारी पक्ष की ओर से पटवारी हल्का को सुना जाकर व उसके बयान दर्ज कर निर्णय पारित किया गया है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 3592/193 रकबा 2.10 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम मण्डावर पर अपीलान्ट ने तिल की फसल काश्त करके अतिक्रमण किया है। इस भूमि पर अपीलान्ट ने पहले भी अतिक्रमण किया था ओर अब पुनः अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विवादित भूमि से पूर्व में पत्रावली सं0 523/2017 से इसी खसरा नम्बर में 2.10 बीघा भूमि पर कब्जा करने पर बेदखल किया गया था एंव पूनः पश्चातवर्ती अतिकमी होना माना गया है। अपीलान्ट चरागाह भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होंता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलाण्ट विधिवत तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर 3592/193 रकबा 2.10 किस्म चरागाह वाके ग्राम मण्डावर पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करना साबित अपीलान्ट विवादित भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है एंव बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोंक का निर्णय दिनांक 5–9–2018 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20–1–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:02:07 IST
Reason: SelfAttested

चिन्मयी

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)